अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2003

का.आ. 690(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 26 मई, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 497 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ब्रहमवेटा श्री देवराहा हंस बाबा ट्रस्ट, 79, करिअप्पा मार्ग, सैनिक फार्म, नई दिल्ली द्वारा ग्राम-भगदेवर, माहुरी कलाँ, जिला-मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण तथा वृद्ध भक्त निवास (वृद्धाश्रम), ध्यान योगा केन्द्र तथा आयुर्वेदिक औषधालय को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 2 पर विनिर्दिष्ट किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्रहमवेटा श्री देवराहा हंस बाबा ट्रस्ट, 79, करिअप्पा मार्ग, सैनिक फार्म, नई दिल्ली द्वारा ग्राम-भगदेवर, माहुरी कलाँ, जिला-मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही भवन निर्माण तथा वृद्ध भक्त निवास (वृद्धाश्रम), ध्यान योगा केन्द्र तथा आयुर्वेदिक औषधालय को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र सात करोड़ पचपन लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 153/2003/फा. सं. एन.सी.-81/2003]

जी.सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)